माननीय न्यायमूर्ति श्री विपिन सांगी, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की अध्यक्षता में 11 मई, 2021 को सायं 05.00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Cisco Webex) के माध्यम से हुई बैठक के कार्यवृत्त

बैठक में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निम्नलिखित अधिकारियों /उच्चाधिकार समिति के सदस्यों ने भाग लियाः

1. श्री एस.एन. श्रीवास्तव, पुलिस आयुक्त .... **सदस्य**
2. श्री बी.एस.भल्ला, प्रमुख सचिव, (गृह)/अतिरिक्त मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार............. **सदस्य**
3. श्री संदीप गोयल, महानिदेशक (जेल), दिल्ली.....................**सदस्य।**
4. श्री कंवलजीत अरोड़ा, सदस्य सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (DSLSA)

एजेंडाः भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Suo Motu Petition (Civil) No. 1/2020– *In Re: Contagion of COVID-19 दिनांक 23.03.2020 और 13.04.2020* में और *I.A. Nos.55273 & 55276 of 2021 in I.A. No. 48231 of 2020 दिनांक 07.05.2021* में पास आदेश में जारी किए गए निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन

वैश्विक स्तर पर **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के प्रसार और WHO के द्वारा घोषित **महामारी** को देखते हुए माननीय शीर्ष अदालत ने उपरोक्त वर्णित Suo Motu Writ Petition के माध्यम से **जेलों में बहुत भीड़ को देखते हुए** इस मुद्दे पर **गहरी चिंता** व्यक्त की और दिनांक **23.03.2020 और 13.04.2020** के आदेश से कुछ निर्देश जारी किए। उन निर्देशों का पालन करते हुए विचाराधीन कैदियों और दोषियों को **वर्ष 2020** में **अंतरिम जमानत और आपातकालीन पैरोल** पर रिहा किया गया जिससे कि जेल में जनसंख्या काफी हद तक कम हुई और **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के कोप से कैदियों को बचाया जा सका।

जेल के अंदर और बाहर की स्थिति में सुधार होने के कारण रिहा हुए व्यक्तियों (इस बीच जिन्हें नियमित जमानत दे दी गई उनको छोड़कर) आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए गए। तदानुसार फरवरी और मार्च 2021 में रिहा किए गए लोग काफी संख्या में वापिस आ गए। हालांकि बड़ी संख्या में लोगों ने आत्मसमर्पण नही किया और वे अब भी फरार हैं।

भारत, कोविड–19 वायरस की पहली लहर से संयोगवश बच गया परंतु महामारी की प्राणघातक दूसरी लहर में बुरी तरह से फंस गया। कोविड–19 के मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि को देखते हुए और कोविड–19 के प्रकोप को रोकने के साथ–2 भीड़भाड़ वाली जेलों की आबादी को कम करने के लिए

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 07.05.2021 के आदेश में इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए उच्चाधिकार प्राप्त समिति को आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया।

माननीय सर्चोच्च न्यायालय ने आगे **निर्देश दिया कि दिल्ली का पुलिस आयुक्त भी इस समिति का सदस्य होगा।** तदानुसार, दिल्ली के पुलिस आयुक्त इस समिति की आज की बैठक में शामिल हैं।

समिति के सदस्यों ने दिल्ली पुलिस आयुक्त का स्वागत किया और उन्हें इस समिति की दिनांक 4 मई 2021 को आयोजित आपातकालीन बैठक में पास निर्णयों से अवगत करवाया। समिति के सदस्यों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 07.05.2021 के आदेश में पास किए गए निर्देशों को देखा और पहले लिए गए निर्णयों में एजेंडा के निम्नलिखित बिदुओं पर पुनर्विचार किया:

आइटम न. 1: विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने की सिफारिश करने के लिए दिनांक 04.05.2021 की बैठक के कार्यवृत्त में अपनाए गए मानदंडों की पुर्नसमीक्षा

समिति के सदस्यों ने दिल्ली और एनसीआर में और जेलों के अंदर **कोविड–19** के मामलों में आए अचानक उछाल पर विचार करते हुए दिल्ली की जेलों में भीड़भाड़ को कम करने के उददेश्य से 04 मई 2021 को आपातकालीन बैठक आयोजित की। जिसमें आइटम न. 04 के अंतर्गत 11 विभिन्न मानदंड अभिलिखित थे जिसमें कैदियों के वर्ग/श्रेणी और वह अवधि जिसमें वे पहले से हिरासत में थे, उन्हें 90 दिन की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने की सिफारिश के उददेश्य से वर्गीकृत किया गया है।

समिति के सदस्यों ने इन 11 मानदंडों पर निर्णय लेते समय दिशा निर्देशों के साथ –2 पिछले वर्ष आयोजित इसकी पिछली बैठकों में की गई सिफारिशों पर भी विचार किया है। वर्तमान में दिल्ली की जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को रिहा करने के लिए की जाने वाली सिफारिशों में से सिर्फ दिनांक 18 मई, 2020 की बैठक में अपनाए गए निर्णयों को छोड़कर अधिकाशतः सभी मानदंडो को अपनाए जाने का निर्णय लिया गया था।

समिति के सदस्यों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्देशों को देखा जिसमें विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने के लिए इस समिति के द्वारा पिछले वर्ष अपनाए गए दिशा निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया था। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पास निर्देशों का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है:

> *"दूसरा, जेल में बंद कैदियों में वायरस का प्रसार गंभीर चिंता का विषय है। राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समितियां पिछले वर्ष अपनाए गए दिशा–निर्देशों (जैसे कि अन्य बातों के साथ–2 नालसा द्वारा निर्धारित एसओपी) को अपनाकर कैदियों की रिहाई पर विचार करेंगी। वे राज्यों जिन्होने*

पिछले वर्ष उच्चाधिकार प्राप्त समितियों का गठन नही किया, उन्हें तुरंत ऐसा करने का निर्देश दिया जाता है।"

(emphasis supplied)

समिति के सदस्यों ने दिनांक 4 मई, 2021 की अपनी बैठक में अभिलिखित 11 मानदंडों पर विचार विमर्श किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पास निर्देशों को प्रभावी रूप देने के लिए यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 4 मई, 2021 की बैठक में अभिलिखित मानदंडों में पिछले वर्ष दिनांक 18 मई, 2020 की बैठक में अपनाए गए अतिरिक्त मानदंडों को जोड़ा जाना चाहिए।

तदानुसार यह निर्णय लिया गया कि विचाराधीन कैदियों को 90 दिनों के लिए अंतरिम जमानत प्रदान करने के लिए दिनांक 04 मई, 2021 की बैठक में पहलें से ही अपनाए गए 11 मानदंडों में निम्नलिखित **xii^th^** मानदंड जोड़ा जाएगाः

(xii) वे विचाराधीन कैदी जो **धारा 302 बी आईपीसी** के अंतर्गत मुकदमें का सामना कर रहें है, और **दो से अधिक वर्ष** से जेल में है और वे किसी **अन्य केस में सम्मिलित नही** है**;**

तदानुसार यह हल किया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त समिति के सदस्यों ने विचाराधीन कैदी गर्भवती महिलाओं के साथ–2 वे विचाराधीन कैदी महिलाएं जिनके अव्यस्क बच्चे उनके साथ जेल में हैं, उन पर एक अलग वर्ग के रूप में विचार करने का निर्णय लिया।

अध्यक्ष के द्वारा पूछे जाने पर महानिदेशक (जेल) ने अवगत करवाया कि आज तक 7 विचाराधीन कैदी गर्भवती महिलाएं हैं और 25 विचाराधीन कैदी महिलाएं हैं जिनके साथ उनके अव्यस्क बच्चे जेल न. 6 और 16 में रहते हैं। विचार विमर्श के पश्चात यह निर्णय हुआ कि इन विचाराधीन महिला कैदियों को, अनिशचित स्थिति और कोविड–19 के नए स्ट्रेन की विषाक्त प्रकृति और घातक प्रभाव को देखते हुए, रिहा किया जा सकता है।

तदानुसार, निम्नलिखित मानदंड 90 दिनों की अंतरिम जमानत प्रदान करने के लिए पहले से अपनाए गए मानदंडों में मानदंड न**.(xiii)** जोड़ा जाता है।

(xiii) सभी **विचाराधीन कैदी महिलाएं** जो कि **गर्भवती** हैं और वे **विचाराधीन कैदी महिलाएं** जिनके **अव्यस्क बच्चा/बच्चे** उनके साथ जेल में है।

कहने की आवश्यकता नही है कि दिनांक 4 मई, 2021 की बैठक के कार्यवृत्त में पहले से अपनाए गए 11 मानदंडों में आज जोड़े गए मानदंड न. **(xii)** और **(xiii)** भी बैठक के कार्यवृत्त

में उल्लिखित बहिष्करण खंड के अधीन होंगे। इसके साथ –2 बहिष्करण खंड संख्या **(vi.a)** आज इसके बाद जोड़ा गया।

तदानुसार हल किया जाता है।

श्री एस.एन.श्रीवास्तव, पुलिस आयुक्त ने यह चिंता व्यक्त की कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति के द्वारा अभिलिखित मानदंडों का लाभ अभ्यस्त अपराधियों जैसे कि वे अपराधी जिनके खिलाफ अनेक केस चल रहें हैं, को नही मिलना चाहिए। पुलिस आयुक्त द्वारा लिखा गया पंत्राक 606/P Sec-CP, दिल्ली, समिति के संज्ञान में लाया गया।

माननीय अध्यक्ष ने पुलिस आयुक्त द्वारा उठाई गई चिंता की सराहना की। समिति के सदस्यों ने इस पत्र को पढ़ लिया है और पिछले साल हुई अपनी बैठकों में इस समिति द्वारा अपनाए गए प्रस्तावों पर भी विचार किया है। इसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह दिनांक 28 मार्च, 2020 की बैठक के कार्यवृत्त में विशेष रूप से लिखा गया था कि

विचारण के तहत जिन कैदियों के खिलाफ **एक से अधिक मामले** हैं, उन पर केवल तभी **अंतरिम जमानत** के लिए विचार किया जाएगा जब वह सभी मामलों में **जमानत पर हो** सिवाय उस केस के, जिस पर विचार किया जा रहा है।

वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन कैदियों के अधिकारों के साथ–2 बड़े पैमाने पर समाज में संतुलन बना रहे यह देखने के लिए **कानून और व्यवस्था** बनाई जाती है। एतद् द्वारा यह **निर्णय** लिया जाता है कि:

यदि विचाराधीन कैदी इस समिति द्वारा 4 मई, 2021 की बैठक के कार्यवृत्त में निर्धारित 11 मानदंडों में से किसी एक मे आता है/या आज के अभिलिखित उपरोक्त दो मानदंडों में से किसी एक में आता है और उसके विरूद्ध तीन या अधिक आपराधिक मामलें लंबित हैं तो उसके मामले में अंतरिम जमानत देने के लिए विचार नही किया जाएगा।

उसी के अनुसार निराकरण किया जाता है।

आइटम न. 2: उच्चाधिकार प्राप्त समिति की पिछले वर्ष में हुई बैठकों में अभिलिखित मानदंडों के आधार पर पहले रिहा किए गए विचाराधीन कैदियों पर विचार विमर्श

समिति के सदस्यों ने दिनांक 4 मई, 2021 की बैठक में विभिन्न मानदंड निर्धारित करते हुए 90 दिनों की अवधि के लिए विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने की सिफारिश की। इस समिति ने निर्देश दिया कि वे सभी विचाराधीन कैदी जो कि अनुशंसित मानदंडो में आते हैं वे अपने निजी वकील या डीएसएलएसए के कानूनी सहायता वकील के माध्यम से उचित आवेदन कर सकतें हैं। इसमें

केवल वही विचाराधीन कैदी नही हैं जिन्हें पिछले वर्ष समिति द्वारा समय समय पर अभिलिखित मानदडों के अंतर्गत रिहा किए गया था और 17 फरवरी, 2021 की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार उन्होने आत्मसमर्पण कर दिया था बल्कि वे भी जो अब 4 मई, 2021 की बैठक और आज यहां ऊपर अपनाए गए मानदंडो के अनुसार पात्र हो गए हैं।

समिति के सदस्यों ने देखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भीषण महामारी पर ध्यान देते हुए कहा है कि पिछले साल रिहा किए गए कैदियों को तत्काल रिहा किया जा सकता है, ताकि बहुमूल्य समय की बचत हो सके। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:

> **"तीसरा, उग्र महामारी की चिंता के कारण यह अदालत जेलों में भीड़भाड के मुददे पर यह कहना चाहती है कि आवेदक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कॉलिन गोंजाविल्स की ओर से प्रस्तुत दलीलें मेरिट पर हैं कि <u>उच्चाधिकार प्राप्त समिति को नई रिहाई पर विचार करने के अलावा, उन सभी कैदियों को तत्काल रिहा कर देना चाहिए जिन्हें हमारे दिनांक 23.03.2020 के आदेश के अनुसार उचित शर्तों को लागू करते हुए रिहा किया गया था। मूल्यवान समय बचाने के लिए इस तरह की कवायद अनिवार्य है।"</u>**

(Emphasis supplied)

उपरोक्त को देखते हुए समिति के सदस्यों ने महानिदेशक (जेल) से ऐसे विचाराधीन कैदियों की संख्या के संबंध में पूछताछ की जिन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया था और उन्होने जेल में आत्मसमर्पण कर दिया था।

महानिदेशक (जेल) ने ऐसे विचाराधीन कैदियों की सूची प्रदान की जिन्हें पिछले वर्ष उच्चाधिकार समिति की पहले की बैठकों में अभिलिखित विविध मानदंडों के तहत **अंतरिम जमानत** पर रिहा कर दिया गया था और उन्होने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस सूची में **1133 विचाराधीन कैदी** हैं। महानिदेशक (जेल) द्वारा प्रस्तुत इस सूची को वर्तमान कार्यवृत्त के साथ **<u>अनुलग्नक ए</u>** के रूप में संलग्न कर दिया है। यह निर्णय लिया जाता है कि इन **1133 विचाराधीन कैदियों** को उनकी रिहाई की तारीख से **90 दिन** की अवधि के लिए **अंतरिम जमानत** पर **तुरंत** रिहा कर दिया जाए। इस तरह की रिहाई को उनके संबंधित न्यायालयों द्वारा पिछले साल **अंतरिम जमानत** पर रिहा करने के आदेश के आधार पर माना जाएगा। इसके लिए उन्हें उसी राशि के बराबर एक नया **व्यक्तिगत बांड** भरना पड़ेगा जितनी राशि का उन्होने पिछले वर्ष **व्यक्तिगत बांड** प्रस्तुत किया था।

यह स्पष्ट किया जाता है कि रिहा होते समय वे अपना **मोबाइल फोन न. जेल अधिकारियों**, **पुलिस स्टेशन के एस.एच.ओ.**(विचाराधीन कैदी जहां रहता था उसके अधिकारक्षेत्र के अंतर्गत) और **पुलिस स्टेशन के एस.एच.ओ.**(जहां उक्त विचाराधीन कैदी के विरूद्ध एफ.आर.आर. दर्ज हुई थी) को देंगे। ये विचाराधीन

कैदी इस शर्त पर रिहा किए जाएंगे कि वे फोन पर जेल प्रशासन के **संपर्क में** रहेंगे और जेल अधीक्षक को सूचना दिए बिना **राज्य छोड़कर नही जाएंगे** और (यदि कोई नया नंबर है), तो नए नंबर की सूचना जेल अधिकारियों और संबंधित पुलिस स्टेशन के एस.एच.ओ. को दिए **बिना मोबाइल न. नही बदलेंगे।**

विचाराधीन कैदियों को रिहा करने के पश्चात महानिदेशक (जेल) जिलानुसार ऐसे विचाराधीन कैदियों की सूची प्राप्त करेंगे जिससे कि रिहा विचाराधीन कैदियों की तैयार सूची संबंधित मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेषित की जा सके। मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश उस सूची के प्राप्त होने के पश्चात उन विचाराधीन कैदियों के अंतरिम जमानत पर रिहा होने के संबंध में संबंधित न्यायालय को सूचित कर सकते है।

महानिदेशक (जेल) ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में उचित कार्यवाही की जाएगी।

हालांकि यह स्पष्ट किया जाता है कि वे **विचाराधीन कैदी** जो कि अब दिनांक 4 मई, 2021 की बैठक और एक आज अपनाए गए मानदंडों के अनुसार **पात्र होंगे** वह दिनांक **4 मई, 2021 की बैठक** के कार्यवृत्त में अपनाए गए निर्णयों के अनुसार **अंतरिम जमानत** मांगने के लिए संबंधित न्यायालय के समक्ष उचित आवेदन करेंगे।

उसी के अनुसार निराकरण किया जाता है।

आइटम न. 3ः दिनांक 04.05.2021 में अभिलिखित बहिष्करण खंड की पुर्नसमीक्षा

श्री एस.एन.श्रीवास्तव, पुलिस आयुक्त ने चिंता व्यक्त की है कि इस कठिन समय में, कुछ बेईमान व्यक्ति कोविड–19 के उपचार के लिए आवश्यक दवाओं, ऑक्सीजन सिलेंडरों, ऑक्सीजन कंसेट्रेटर मशीनो और अन्य संबंधित वस्तुओं की कालाबाजारी और/या जमाखोरी में लिप्त हैं। उन्होने आवाज उठाई कि ऐसे व्यक्तियों को समिति द्वारा अभिलिखित मानदंडों का लाभ नही मिलना चाहिए।

समिति के सदस्यों ने पुलिस आयुक्त द्वारा उठाई गई चिंता की सराहना की और देखा कि इस कठिन समय के दौरान इस **अभूतपूर्व स्थिति** से बाहर निकलने के लिए जब लोगों को एक दूसरे की सहायता के लिए आगे आना चाहिए, उसी समय में कुछ व्यक्ति अनुचित लाभ के लिए इस घातक वायरस के इलाज के लिए आवश्यक **दवाओं** और **उत्पादों** की **कालाबाजारी**, और **जमाखोरी** जैसे गलत कार्यो में लिप्त हैं।

तदानुसार यह **निर्णय** लिया जाता है कि **दिनांक 4 मई, 2021** की बैठक के कार्यवृत्त में उल्लिखित **बहिष्करण खंड** में खंड **(vi)** के बाद खंड **(vi.a)** के रूप निम्नलिखित खंड को जोड़ने की आवश्यकता हैः

(vi.a) उन सभी व्यक्तियों को **कोविड–19 के** उपचार के लिए **आवश्यक दवाओ, ऑक्सीजन सिलेंडरों, ऑक्सीजन कंसेट्रेटर** मशीनो और अन्य ऐसी वस्तुओं की **कालाबाजारी और जमाखोरी** के आरोप मे गिरफ्तार किया गया है।

समिति के सदस्यों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 7 मई, 2021 के आदेश में अभिलिखित निर्देशों को विशेष रूप से पैरा 11 को देखा। जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"तीसरा, उग्र महामारी की चिंता के कारण यह अदालत जेलों में भीड़भाड के मुददे पर यह कहना चाहती है कि आवेदक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कॉलिन गोंजाविल्स की ओर से प्रस्तुत दलीलें मेरिट पर हैं कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति को नई रिहाई पर विचार करने के अलावा, उन सभी कैदियों को तत्काल रिहा कर देना चाहिए जिन्हें हमारे दिनांक 23.03.2020 के आदेश के अनुसार उचित शर्तों को लागू करते हुए रिहा किया गया था। मूल्यवान समय बचाने के लिए इस तरह की कवायद अनिवार्य है।"

दिनांक 4 मई, 2021 की बैठक के कार्यवृत्त में अभिलिखित **बहिष्करण खंड** पर विचार करना उचित समझा।

बहिष्करण खंड न. (vii) और (viii) निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

(vii) *उच्चाधिकार समिति के द्वारा उसकी पहले की बैठकों में अपनाए गए मानदंडों के आधार पर प्रदान की गई अंतरिम जमानत पर छूटे वे कैदी जो अंतरिम जमानत के दौरान अपराध करने के कारण अब हिरासत में हैं।*

(viii) *उच्चाधिकार समिति के द्वारा उसकी पहले की बैठकों में अपनाए गए मानदंडों के आधार पर प्रदान की गई अंतरिम जमानत पर छूटे वे कैदी जो आत्मसमर्पण के आदेश की शर्तों के अनुसार आत्मसमर्पण करने में असफल रहे और उनके विरूद्ध गैर जमानती वारंट जारी होने के पश्चात वे अब हिरासत में हैं।*

अध्यक्ष द्वारा पूछे जाने पर महानिदेशक (जेल) ने अवगत करवाया कि बहिष्करण खंड **(viii)** के अंतर्गत आने वाला कोई भी विचाराधीन कैदी जेल में नही है।

श्री एस.एन.श्रीवास्तव, पुलिस आयुक्त के साथ साथ महानिदेशक (जेल) समिति के संज्ञान में लाए कि कुछ विचाराधीन कैदी ऐसे हैं जिन्होने पिछले साल हुई बैठको में इस समिति द्वारा निर्धारित

मानदंडों के अनुसार अंतरिम जमानत पर रिहाई का लाभ उठाने के बाद आत्मसमर्पण नही किया है। उन्होने कहा कि इस तरह के विचाराधीन कैदियों को इस समिति द्वारा 4 मई, 2021 को निर्धारित मानदंडों और आज अपनाए गए मानदंड का लाभ नही दिया जाना चाहिए।

विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा अपनी पिछली बैठकों में निर्धारित मानदंडों के आधार पर जिन विचाराधीन कैदियों ने अंतरिम जमानत का लाभ लेने के बाद और निर्देशों के बावजूद निर्धारित तिथि पर आत्मसमर्पण नही किया है। वे गिरफ्तारी /पुनः गिरफ्तारी के बाद भी 4 मई, 2021 को निर्धारित मानदंडों और आज अपनाए गए मानदंड का लाभ उठाने के हकदार नही होंगे।

बहिष्करण खंड संख्या **(viii)** को तदानुसार निम्नानुसार **संशोधित** किया गया हैः

> **(viii)** ***उच्चाधिकार समिति के द्वारा उसकी पहले की बैठकों में अपनाए गए मानदंडों के आधार पर प्रदान की गई अंतरिम जमानत पर छूटे वे कैदी जो आत्मसमर्पण के आदेश की शर्तों के अनुसार आत्मसमर्पण करने में असफल रहे और गिरफ्तार/पुनः गिरफ्तार होने के पश्चात अब हिरासत में हैं।***

4 मई, 2021 की बैठक के कार्यवृत्त को संशोधित कर दिया गया है।

उसी के अनुसार निराकरण किया जाता है।

अध्यक्ष द्वारा पूछे जाने पर महानिदेशक (जेल) ने अवगत करवाया कि 143 विचाराधीन कैदी ऐसे हैं, जिन्हें इस समिति द्वारा पिछली बैठकों में अपनाए गए मानदंडों के आधार पर दी गई अंतरिम जमानत प्रदान की गई थी और अंतरिम अवधि के दौरान उनके द्वारा किए गए अपराध के लिए वे हिरासत में हैं और इस प्रकार वह बहिष्करण खंड संख्या **(vii)** के अंतर्गत आते हैं।

समिति के सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 07 मई, 2021 के आदेश के पैरा 11 में दिए गए निर्देशों को स्वयं को याद दिलाया जिसमें विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि वे कैदी जिन्हें उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा अभिलिखित मानदंडों और दिनांक 23.03.2020 के आदेश का पालन करते हुए रिहा किया गया था, उन्हें अब तुरंत रिहा किया जाना चाहिए।

काफी विचार विमर्श के पश्चात, समिति के सदस्यों की रॉय है कि दिनांक 04 मई, 2021 की बैठक में उल्लिखित बहिष्करण खंड संख्या **(vii)** को बनाए रखना वांछनीय है। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 07 मई, 2021 के आदेश के पैरा न. 11 में स्पष्ट रूप से यह सुझाव देते हैं कि जो पहले रिहा हो गए थे और ऐसी रिहाई के बाद उन्होने अपराध किया था, उन्हें भी रिहा किया जाना

चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 07 मई, 2021 के आदेश के पैरा 11 में सामान्य निर्देश जारी किए गए थे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में यह नही लाया गया था कि पिछले वर्ष कुछ ऐसे मामले हैं, जिसमें अंतरिम जमानत पर रिहा विचाराधीन कैदियों ने रिहा होने के पश्चात अपराध किया है।

विचार विमर्श करने के पश्चात समिति के सदस्यों ने यह **निर्णय** लिया कि इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से **स्पष्टीकरण** के लिए जल्द से जल्द एक **I.A.** दायर की जाए और इन कैदियों की रिहाई के लिए स्पष्टीकरण तक **प्रतीक्षा** की जा सकती है।

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव कंवलजीत अरोड़ा समिति के द्वारा तदानुसार निर्देश दिया जाता है कि वे जल्द से जल्द माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष **I.A.** दायर करें।

उसी के अनुसार निराकरण किया जाता है।

आइटम न. 4ः दोषियों को आपातकालीन पैरोल प्रदान करना

समिति के सदस्यों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 7 मई, 2021 के आदेश में अभिलिखित निर्देशों को देखा। जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> **"चौथा, हम आगे निर्देश देते हैं कि जिन कैदियों को हमारे पहले आदेश के अनुसार पैरोल दी गई थी। उन्हें महामारी से निपटने के लिए फिर से 90 दिनों की अवधि की पैरोल दी जानी चाहिए।"**

उपरोक्त को देखते हुए समिति के सदस्यों ने 4 मई, 2021 की बैठक में अपनाए गए निर्णयों पर फिर से विचार किया। 4 मई, 2021 की बैठक के दौरान, समिति के सदस्यों ने महानिदेशक (जेल) के द्वारा दिनांक 26.04.2021 को विशेष सचिव (गृह) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को लिखे गए अनुशंसा पत्र के संदर्भ में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से 8 सप्ताह की अवधि के लिए पात्र दोषियों को आपातकालीन पैरोल पर रिहा करने की सिफारिश की।

यह देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि जिन दोषियों को **पहले आपातकालीन पैरोल** दी गई थी, उन्हें **90 दिनों** की अवधि के लिए **पैरोल दी जानी** चाहिए इसीलिए समिति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से **8 सप्ताह** की अवधि के स्थान पर **90 दिन** की अवधि के लिए **पात्र दोषियों** को **आपातकालीन पैरोल** पर रिहा करने की सिफारिश की जैसे कि पहले की गई थी।

श्री बी.एस.भल्ला, प्रमुख सचिव, (गृह) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने समिति को आश्वासन दिया कि वह जल्द ही आवश्यक कार्यो को करने के लिए पुख्ता कदम उठाएगे।

आइटम न. 5: अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों/दिशा निर्देशों का कार्यान्वयन

समिति के सदस्यों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक **7 मई, 2021** के आदेश में **पैरा 9** में पारित निर्देशों को देखा। समिति के सदस्यों ने **4 मई, 2021** की बैठक में अपनाए गए निर्णय शीर्षक **अतिरिक्त बिंदु** पर फिर से विचार किया।

सभी सदस्यों ने **सर्वसम्मति** से यह रॉय व्यक्त की कि अर्नेश कुमार मामले में निर्धारित **दिशा निर्देशों** का अनुपालन करने से निश्चित रूप से भीड़भाड़ वाली जेलों में तनाव कम होगा। **4 मई, 2021** की बैठक के कार्यवृत्त के माध्यम से पुलिस आयुक्त को जांच अधिकारी को उचित निर्देश जारी करने के लिए एक अनुरोध पत्र भेजने का निर्देश दिया गया था ताकि उन्हें किसी अपराध के आरोपी व्यक्तियों को जिन्हें **7 साल या उस से कम** की सजा दी गई हो, उन्हें यंत्रवत रूप से गिरफ्तार करने से **रोका** जा सके। चूंकि पुलिस आयुक्त इस समिति के सदस्य हैं, उनका कहना है कि उन्होने सभी जांच अधिकारियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए **जागरूक** किया है।

जहां तक **सामाजिक दूरी, सफाई और कैदियों और जेल स्टॉफ के द्वारा मास्क** पहनने का संबंध है। महानिदेशक (जेल) ने कहा कि सभी जेल अधिकारियों और कर्मचारियों को समिति के द्वारा इससे पहले की बैठको लिए गए निर्णयों का पालन करने के लिए **जागरूक** किया गया है।

आइटम न. 6: इस समिति द्वारा अभिलिखित मानदंडों का लाभ न लेने पर जेल के कैदियों की इच्छा का सम्मान करना।

समिति के सदस्यों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 7 मई, 2021 के आदेश में पारित निर्देशों को देखा। प्रासंगिक अंश यहां निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> **14 – "कुछ कैदी अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि को देखते हुए और इस घातक वायरस का शिकार न हो जाए इस भय से रिहा होने के इच्छुक नही हो सकते हैं। इस प्रकार के असाधारण मामलों में अधिकारियों को, कैदियों को उनकी चिंता पर, विचार करने का निर्देश दिया जाता है।"**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पास आदेशों को देखते हुए यह **निर्णय** लिया जाता है कि जो विचाराधीन कैदी/दोषी समिति द्वारा अभिलिखित मानदंडों के तहत **अंतरिम जमानत/ आपातकालीन पैरोल** पर रिहा होने के पात्र हैं। वे वायरस के संक्रमण के भय के कारण यदि वे एक बार जेल से बाहर चले गए या उनके पास कोई स्थान वे रिश्तेदार न हो या अन्य किसी कारण से रिहा होने के **इच्दुक नही** हैं तो ऐसे विचाराधीन कैदियों/दोषियों को इस समिति के द्वारा अभिलिखित मानदंडों के तहत **जबरन रिहा** नही किया जाएगा। जेल अधिकारी ऐसे सभी मामलों पर **सहानुभूति** के साथ विचार करेंगे।

महानिदेशक (जेल) ने कहा कि वह जेल अधीक्षक को अधिक **संवेदनशील** बनाएगे। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित के निर्देशों का पालन **सुनिश्चित** करेंगे।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित दिनांक **7 मई, 2021** के निर्देशों का पालन करते हुए, जैसा कि पहले किया जा रहा था, बैठक के कार्यवृत्त को **दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली जिला न्यायालयों और दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण** की वेबसाइट पर **अपलोड** की जा रहा है।

इस बैठक के कार्यवृत्त को सभी सदस्यों और अध्यक्ष के हस्ताक्षर की प्रत्याशा में सभी संबंधितों के द्वारा लागू किया जाएगा।

अध्यक्ष का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्त हुई।

एस.एन.श्रीवास्तव पुलिस आयुक्त दिल्ली	**श्री बी.एस. भल्ला प्रधान सचिव (गृह)**	**श्रीसंदीप गोयल महानिदेशक (जेल)**	**कंवलजीत अरोड़ा सदस्य सचिव डीएसएलएसए**

माननीय न्यायमूर्ति श्री विपिन सांगी,
कार्यकारी अध्यक्ष,डीएसएलएसए

....

यह सत्यापित किया जाता हैं कि दिनांक 11.05.2021 की बैठक के कार्यवृत्त का हिन्दी अनुवाद मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

हिन्दी अनुवादक
डीएसएलएसए